

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं० 320, तृतीय तल, शक्ति

भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-

226001

रैक्स संख्या - 8320



Room No. 320,

IIIrd Floor, Shakti Bhawan,

14-Ashok Marg, Lucknow-226001

E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

दिशा-निर्देश सं० : 13 /उम०प्र० (टेक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019

दिनांक 16/01/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०)/765के०वी०/
सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०डी०/जानपद (I)/(II)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा/झासी/गोरखपुर

विषय:- 01 जनवरी, 2019 से लागू जी०एस०टी० संशोधन के सम्बन्ध में।

(1) GST-TDS के सम्बन्ध में-

CGST Act की धारा 51 के अनुसार GST-TDS काटने का दायित्व निम्नलिखित संस्थाओं/विभागों पर है-

- A department or establishment of the Central Government and State Government or,
 - Local Authority or,
 - Government Agencies or,
 - Such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the council-
- An Authority or a board or any other body-
 - Set up by an act of Parliament or a State legislature or
 - Established by any Government,
- With fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function,
- Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860),
 - Public Sector undertakings.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-73/2018-Central Tax दिनांक 31 December, 2018 के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं/विभागों द्वारा आपसे में किये गये भुगतान पर GST-TDS की प्रयोज्यता समाप्त कर दी गयी है। संक्षेप में, निगम द्वारा उपरोक्त किसी को भुगतान करते समय GST-TDS नहीं काटा जायेगा एवं तदनुसार उपरोक्त द्वारा निगम को भुगतान पर GST-TDS नहीं काटा जायेगा। चूंकि GST-TDS काटने का दायित्व उपरोक्त संस्थाओं/विभागों का ही है एवं अब इनके द्वारा निगम को किये गये भुगतानों पर GST-TDS नहीं काटा जाना है, अतः निगम को प्राप्त किसी भी भुगतान पर GST-TDS नहीं कटेगा। किसी अन्य से भुगतान प्राप्त करते समय इकाईयां सुनिश्चित करें कि अन्य द्वारा GST-TDS न काटा गया हो।

उपरोक्त को समझने के लिए उदाहरण निम्नानुसार है:-

- Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. (PSU) द्वारा Indian Railways (Department of Central Government) को भुगतान करने पर UPPTCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- उपरोक्त के विपरित Indian Railways द्वारा UPPTCL का भुगतान करने पर Indian Railways द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- UPPTCL (PSU) द्वारा Lucknow Department Authority (LDA) (Local Authority) को भुगतान करने पर UPPTCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- इसके विपरित Lucknow Department Authority (LDA) द्वारा UPPTCL का भुगतान करने पर Lucknow Department Authority (LDA) द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- UPPTCL (PSU) द्वारा NTPC (PSU) को भुगतान करने पर UPPTCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- इसके विपरित NTPC (PSU) द्वारा UPPTCL का भुगतान करने पर NTPC (PSU) द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।

(2) Security Services पर RCM के संबंध में-

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-29/2018-Central Tax (Rate) दिनांक 31 December, 2018 के तहत Security Services को भी Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। जिसके अनुसार अगर कोई Security Services किसी Body Corporate (Company) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ली गयी है तो उस पर RCM के प्रावधान लागू होंगे। RCM के अन्तर्गत आने वाली Services में जी०एस०टी० के भुगतान एवं Return Filing का दायित्व Service Receiver का होता है।

यह संशोधन 01 जनवरी, 2019 से लागू होंगे।

RCM की प्रयोज्यता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:-

A. Services supplied before 1st January, 2019

S No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	20.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	Wherever services have been provided prior to 01.01.2019 and invoice has been issued by the service providers prior to such date, no liability under RCM arises even if the payment to the supplier has been made post 1.1.2019, as the time of supply has arisen prior to such date only.
2	10.12.2018	31.01.2019	10.12.2018	
3	10.12.2018	25.12.2018	10.12.2018	

B. Services supplied on or after 1st January, 2019

S No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	31.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	RCM would be applicable
2	31.01.2019	12.12.2018 (Advance Payment)	12.12.2018	No RCM on such advance
3	31.01.2019	Total Payment: Rs. 5 Lacs - Advance paid on 12.12.2018: Rs. 3 Lacs - Rs. 2 Lacs on 05.02.2019	12.12.2018 31.01.2019	RCM not applicable for Rs. 3 Lacs. However, w.r.t Rs.2 Lacs liability would vest on the service recipient under RCM

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 के GST- I.T.C. के संबंध में -

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) द्वारा निर्गत आदेश संख्या 02/2018 (Central Tax) दिनांक 31.12.2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए I.T.C. मार्च, 2019 के जी०एस०टी० रिटर्न दाखिल करने तक ही लिया जा सकता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अभी तक कोई I.T.C. Claim नहीं किया गया है, इसलिए सभी परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी सभी इकाईयों द्वारा I.T.C. के संबंध में सूचना एकत्रित करके जी०एस०टी० सेल मुख्यालय को दिनांक 15.02.2019 तक उपलब्ध कराये। यदि किसी इकाई द्वारा I.T.C. Nil है तो परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय उस इकाई द्वारा Nil data की सूचना भी एकत्रित करे। जी०एस०टी० मुख्यालय द्वारा पत्र सं० 02/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2017-18 दिनांक 25.07.2017 को निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत I.T.C. से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

(4) Income Tax- Tax Collected at Source (TCS) पर GST के संबंध में-

Circular No. 76/50/2018-GST, दिनांक 31.12.2018 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहाँ Income Tax- Tax Collected at Source (TCS) का प्राविधान है, वहाँ Taxable Value में TCS को शामिल कर जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

उदाहरणार्थ-

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap sale value	
TCS @ 1%	100.00
Taxable Value	1.00
GST @ 18%	101.00
Total	18.18
	119.18

दिशा-निर्देश सं० : /उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 तददिनांक

(ए0के0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी0/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 5- उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)